



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1695/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3654/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 1
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1424 7/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8282/20 22	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/1390 3/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8031/20 22	6/2/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1424
7/2022

18138.00

RCPT/BHO/0269/8281/20
22

6/7/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:55:34 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1694/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3653/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 2
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1390 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8030/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1425 0/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8283/20 22	6/7/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1425 0/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8284/20 22	6/7/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:54:12 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1693/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3652/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 3
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1425 2/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8286/20 22	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/1425 2/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8285/20 22	6/7/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1317
0/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7619/20
22

5/26/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:52:38 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1700/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3405/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 4
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/13164/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7615/2022	5/26/2022	Online
DMD/BHO/0269/14271/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8419/2022	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1427
1/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8420/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:19:49 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1699/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3403/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 5
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/13163/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7614/2022	5/26/2022	Online
DMD/BHO/0269/14270/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8422/2022	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1427
0/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8421/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:17:16 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1745/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 09-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3401/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 6
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1316 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7613/20 22	5/26/2022	Online
DMD/BHO/0269/1426 9/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8423/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1426 9/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8426/20 22	6/9/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **08-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.09 18:25:08 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1741/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 09-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3393/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 7
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1425 7/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8433/20 22	6/9/2022	Online
DMD/BHO/0269/1315 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7600/20 22	5/26/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1425
7/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8434/20
22

6/9/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **08-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.09 18:18:41 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1740/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 09-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3392/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 8
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1314 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7595/20 22	5/26/2022	Online
DMD/BHO/0269/1425 6/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8436/20 22	6/9/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1425
6/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8437/20
22

6/9/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **08-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.09 18:17:17 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1744/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 09-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3398/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 9
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1426 5/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8427/20 22	6/9/2022	Online
DMD/BHO/0269/1426 5/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8428/20 22	6/9/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1316 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7611/20 22	5/26/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **08-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.09 18:23:27 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1743/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 09-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3397/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 10
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1315 8/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7609/20 22	5/26/2022	Online
DMD/BHO/0269/1425 9/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8429/20 22	6/9/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1425
9/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8430/20
22

6/9/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **08-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.09 18:21:42 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1742/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 09-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3396/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 11
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1315 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7607/20 22	5/26/2022	Online
DMD/BHO/0269/1425 8/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8432/20 22	6/9/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1425 8/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8431/20 22	6/9/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **08-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.09 18:20:05 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1692/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3651/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 12
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1390 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8028/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1425 4/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8291/20 22	6/7/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1425 4/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8290/20 22	6/7/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:50:51 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1894/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3954/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 13.
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.200	15.240	109.730	109.730

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	128.830
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	128.830
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	48.460
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	128.83	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	53.16	0.00	0.0000	0.00	53.16	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	54.36	0.00	0.0000	0.00	54.36	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1531 6/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8849/20 22	6/16/2022	Online
DMD/BHO/0269/1592 9/2022	19124.00	RCPT/BHO/0269/9257/20 22	6/23/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1592
9/2022

17966.00

RCPT/BHO/0269/9251/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.23 21:45:20 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1825/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3479/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 14
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1492 1/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8852/20 22	6/16/2022	Online
DMD/BHO/0269/1492 1/2022	18004.00	RCPT/BHO/0269/8851/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1343 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7754/20 22	5/28/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:40:21 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1824/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3478/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 15
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/13434/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7753/2022	5/28/2022	Online
DMD/BHO/0269/14922/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8853/2022	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
2/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8874/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:38:56 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1823/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3477/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 16
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1343 1/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7752/20 22	5/28/2022	Online
DMD/BHO/0269/1492 3/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8875/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
3/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8876/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:37:38 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1822/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3476/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 17
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1342 8/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7750/20 22	5/28/2022	Online
DMD/BHO/0269/1492 4/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8881/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
4/2022

3004.00

RCPT/BHO/0269/8880/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:36:13 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1821/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3475/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 18
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14925/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8883/2022	6/16/2022	Online
DMD/BHO/0269/13427/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7749/2022	5/28/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
5/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8882/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:34:55 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1820/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3474/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 19
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1492 6/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8885/20 22	6/16/2022	Online
DMD/BHO/0269/1492 6/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8884/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1342
6/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7748/20
22

5/28/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:33:28 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1819/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3473/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 20
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/13424/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7746/2022	5/28/2022	Online
DMD/BHO/0269/14927/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8886/2022	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
7/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8887/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:32:09 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1818/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3472/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 21
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/13423/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7745/2022	5/28/2022	Online
DMD/BHO/0269/14928/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8888/2022	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
8/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8889/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:30:52 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1753/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3502/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 22
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1474 1/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8576/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1348 4/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7776/20 22	5/29/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1474
1/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8577/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 08:57:18 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1752/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3501/2022

- जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 23
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1474 2/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8578/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1474 2/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8579/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1348 3/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7775/20 22	5/29/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 08:54:30 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1829/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3500/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 24
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1348 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7774/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1490 8/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8841/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1490
8/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8842/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:46:03 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1890/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3499/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 25
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.550
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.550
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.410
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.55	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.54	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.37	0.00	0.0000	0.00	57.37	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1348 1/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7773/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1552 1/2022	20056.00	RCPT/BHO/0269/9280/20 22	6/23/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1552
1/2022

3003.00

RCPT/BHO/0269/9279/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.23 21:38:18 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1828/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3498/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 26
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1491 7/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8843/20 22	6/16/2022	Online
DMD/BHO/0269/1491 7/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8844/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1348 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7772/20 22	5/29/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:44:37 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1827/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3497/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 27
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1347 8/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7771/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1492 0/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8845/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1492
0/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8846/20
22

6/16/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:43:01 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1893/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3930/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 28
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
4.700	16.400	117.920	117.920

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	129.470
Consumed FAR :	1.090	Proposed Builtup Area :	129.470
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	45.750
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	129.47	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	53.94	0.00	0.0000	0.00	53.94	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	54.22	0.00	0.0000	0.00	54.22	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1552 9/2022	17970.00	RCPT/BHO/0269/9258/20 22	6/23/2022	Online
DMD/BHO/0269/1552 9/2022	19200.00	RCPT/BHO/0269/9260/20 22	6/23/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1512
8/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/8766/20
22

6/14/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.23 21:43:09 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1887/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3929/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 29
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
15.240	28.420	201.190	201.190

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	109.000
Consumed FAR :	0.540	Proposed Builtup Area :	109.000
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	27.3
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	23.000
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	109.00	0.00	0.0000	0.00	3.00	2.50	3.12	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	46.28	0.00	0.0000	0.00	46.28	14.49
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	19.48	0.00	0.0000	0.00	19.48	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1512 6/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8764/20 22	6/14/2022	Online
DMD/BHO/0269/1571 7/2022	16356.00	RCPT/BHO/0269/9261/20 22	6/23/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1571
7/2022

11853.00

RCPT/BHO/0269/9265/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

29. इस अनुमति को भूस्वामित्व दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी, तथा भवन अनुमति मानचित्र को भूस्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। भवन अनुमति केवल भवन के नियोजन मापदण्ड मानचित्र माना जाएगा।

30. आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत वास्तुविद् (नियम 16(9)के तहत) द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार की स्थल के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता होने पर या प्रस्तुत भवन मानचित्र में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जा सकेगी। म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा अथवा अनुज्ञा को निरस्त किया जा सकेगा।

31. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.बी.सी. भाग-4 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था हेतु नवीन संशोधन अनुसार संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी, तथा तदनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण लगाए जावेंगे, तत्पश्चात प्राप्त अनापत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की फायर फिटिंग अमानक व उपकरण के संचालन के संबंध में कोई त्रुटि अथवा दुर्घटना घटित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

32. भवन अनुमति के अनुसार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 के तहत भवन अनुज्ञा शाखा को विधिवित् देना होगी। बगैर सूचना दिए व बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए किए जा रहे निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही भूगतान किया जाएगा। भूखंड के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विधिवत् अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदित मानचित्र से विपरीत पाए जाने वाले भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी।

33. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार यदि आवेदक के द्वारा स्वयं की प्रेरणा से निर्दिष्ट/अनुमोदित अधिभोग का परिवर्तन भवन में या उसके किसी भाग में करता है तो भवन निर्माण अधिकारी ऐसे अवैधानिक अधिभोग को बंद किए जाने हेतु कार्यवाही करेगा, यदि आवेदक द्वारा भवन अनुमति के विरुद्ध अवैधानिक अधिभोग को बंद नहीं करता है तो दी गई भवन



नगर पालिक निगम Bhopal

अनुज्ञा व अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन मानते हुए नियम/अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञा निरस्त कर दी जावेगी, तथा भवन निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए भवन निर्माण अधिकारी संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा।

34. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल के पत्र क्रं. 861/स्वा./रा.क./2022

दिनांक-28.04.2022 के अनुसार राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण/डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भवन निर्माणकर्ता को जल संचय इस प्रकार किया जाना है कि जिससे मच्छरों के प्रजनन जन्य स्थितियां निर्मित न हो सकें, जिसके कारण डेंगू जैसे अन्य हानिकारक लार्वा उत्पन्न न होने पायें। स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से जल संग्रहण आवश्यकता अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जाती है जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थायी व्यवस्था को नष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

35. अनुमोदित मानचित्र के विपरीत किए गए भवन निर्माण कार्य गलत या असत्य जानकारी पहुंच मार्ग संबंधी विवाद उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन व जानकारी जो आवेदन पत्र अनुसार असत्य पाए जाने या भू-सीमा/भूखण्ड विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व उससे संबंधित प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाए जाने पर या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुमति पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाए जाने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहत/ रिव्होक कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी मानी जावेगी।

36. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाए अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अन्तर्गत तलघर का उपयोग केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा, जिसकी नियमानुसार भवन अनुमति प्रदान करते समय वाहन पार्किंग की गणना व प्रत्येक वाहन हेतु पर्याप्त स्थान, आवागमन स्थान हेतु नियोजित क्षेत्र एवं ऊंचाई आदि का निर्धारण के पश्चात ही भवन अनुमति मान्य की जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानचित्र में उपदर्शित भूखण्ड रेखा से न्यूनतम 1.5 मीटर अथवा जो निर्धारित किया गया हो, भूमि छोड़कर ही तलघर निर्माण मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में भूखण्ड रेखा से तलघर निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। तलघर निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने या कोई जनहानि या जानमाल का नुकसान होने पर आवेदक एवं उनके अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि बराबर के जिम्मेदार होंगे, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही भूगतान किया जाएगा। आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा।

37. आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक-22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियम और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

38. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिक निगम, के निर्देशन में निर्धारित



नगर पालिक निगम Bhopal

मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी, तथा नगर निगम के मुख्य DRAIN से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

39. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के अनुसार जल निकाय/जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9 मीटर और नदी के मामले में 15 मीटर की दूरी के भीतर हो या जैसा कि विकास रेखांक में विहित हो, भूमि को खुले रूप में छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

40. आवेदक को विषयांकित भूमि पर विकास/निर्माण करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि, उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले निर्माण से आसपास के भवनों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किए जा रहे निर्माण कार्य से आसपास के भवनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर दी जा रही अनुज्ञा को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत लंबित रखा जा सकता है तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

41. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधारभूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

42. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होने पर अपेक्षाएं प्रावधान अनुसार निर्धारित आवेदक द्वारा की जावेगी, तथा नियम 88 के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन आवेदक का दायित्व होगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जावेगा, साथ ही नियम 41 के तहत भवन तथा उसके चारों ओर खुल स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग दमकल के भार को सहन करने योग्य ठोस सतह होगी।

43. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वयं के आवास (केवल परिभाषित कुटुम्ब सदस्य सहित) अधिभोग हेतु ही अनुज्ञा दी जा रही है, यदि आवेदक या किसी अन्य के द्वारा स्वीकार्य निर्मित क्षेत्रान्तर्गत अधिभोग से विपरीत कर अतिरिक्त किसी भी प्रकोष्ठों को विक्रय किया जाता है तो ऐसा कृत्य पाए जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिका म.प्र. नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 के अधीन कालोनाईजर (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध सक्षम कार्यवाही सक्षम न्यायालय/अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। यह भी है कि स्वयं के आवास अधिभोग हेतु दी गई अनुज्ञा अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा विक्रित भाग पर ऋण दिया जाना भी अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1754/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3509/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 30
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1348 9/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7783/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1474 0/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8574/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1474 0/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8575/20 22	6/10/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:00:08 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1755/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3510/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 31
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1349 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7784/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 9/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8573/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1473
9/2022

3004.00

RCPT/BHO/0269/8572/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:04:37 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1756/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3511/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 32
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1349 1/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7785/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 8/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8571/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1473
8/2022

3004.00

RCPT/BHO/0269/8570/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:05:55 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1757/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3512/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 33
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1349 3/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7786/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 7/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8569/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1473
7/2022

3004.00

RCPT/BHO/0269/8568/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:07:17 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1758/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3513/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 34
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1349 4/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7787/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 6/2022	2923.00	RCPT/BHO/0269/8566/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1473
6/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8567/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:08:41 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1759/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3514/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 35
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1349 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7788/20 22	5/29/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 5/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8563/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1473
5/2022

20087.00

RCPT/BHO/0269/8565/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:10:05 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1760/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3515/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 36
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1473 4/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8562/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 4/2022	2787.00	RCPT/BHO/0269/8561/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1349 6/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7789/20 22	5/29/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:11:53 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1761/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3523/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 37
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1473 3/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8559/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 3/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8560/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1353
4/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7808/20
22

5/30/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:13:18 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1762/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3526/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 38
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1473 2/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8557/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 2/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8558/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1354 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7812/20 22	5/30/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:21:14 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1764/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3529/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 39
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1473 0/2022	3004.00	RCPT/BHO/0269/8556/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1473 0/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8555/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1355
2/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7816/20
22

5/30/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:22:15 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1766/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3534/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 40
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.620	15.240	116.130	116.130

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	136.860
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	136.860
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.670
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	136.86	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	57.68	0.00	0.0000	0.00	57.68	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	57.87	0.00	0.0000	0.00	57.87	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1472 9/2022	18004.00	RCPT/BHO/0269/8552/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1472 9/2022	20087.00	RCPT/BHO/0269/8554/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1355
8/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7822/20
22

5/30/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:23:18 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1689/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3447/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 41
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1430 0/2022	18138.00	RCPT/BHO/0269/8305/20 22	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/1430 0/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8306/20 22	6/7/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1331 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7683/20 22	5/27/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:46:23 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1688/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3446/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 42
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1331 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7681/20 22	5/27/2022	Online
DMD/BHO/0269/1427 5/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8307/20 22	6/7/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1427 5/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8308/20 22	6/7/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:45:00 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1687/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3445/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 43
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1430 4/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8311/20 22	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/1330 8/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7679/20 22	5/27/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1430
4/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8309/20
22

6/7/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:42:29 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1686/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3442/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 44
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1430 8/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8312/20 22	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/1330 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7677/20 22	5/27/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1430
8/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8316/20
22

6/7/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:40:32 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1713/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3441/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 45
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1330 1/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7676/20 22	5/27/2022	Online
DMD/BHO/0269/1431 0/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8393/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1431
0/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8394/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:49:18 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1711/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3435/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 46
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1329 3/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7674/20 22	5/27/2022	Online
DMD/BHO/0269/1431 2/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8398/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1431
2/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8397/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:45:28 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1710/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3434/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 47
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14313/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8400/2022	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/13291/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7673/2022	5/27/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1431
3/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8401/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:43:46 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1709/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3433/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 48
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1431 4/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8406/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1431 4/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8405/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1328
9/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7672/20
22

5/27/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:42:37 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1708/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3432/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 49
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1431 5/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8408/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1431 5/2022	18138.00	RCPT/BHO/0269/8407/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1328
6/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7670/20
22

5/27/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:41:06 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1707/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3431/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 50
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1431 6/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8409/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1328 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7669/20 22	5/27/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1431 6/2022	18138.00	RCPT/BHO/0269/8410/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:39:32 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1706/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3430/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 51
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1328 4/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7668/20 22	5/27/2022	Online
DMD/BHO/0269/1431 7/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8412/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1431 7/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8411/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:38:11 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1705/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3429/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 52
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1328 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7667/20 22	5/27/2022	Online
DMD/BHO/0269/1431 9/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8414/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1431
9/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8413/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:29:41 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1702/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3428/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 53
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1432 2/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8416/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1432 2/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8415/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1328
1/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7665/20
22

5/27/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:24:28 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1701/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3427/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 54
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14243/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8418/2022	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/13280/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7663/2022	5/27/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1424
3/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8417/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:21:01 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1712/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3440/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 55
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14311/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8395/2022	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/14311/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8396/2022	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1330
0/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7675/20
22

5/27/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:46:53 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1691/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3484/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 56
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1427 2/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8300/20 22	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/1344 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7757/20 22	5/28/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1427
2/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8302/20
22

6/7/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:49:27 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1690/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 07-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3483/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 57
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14273/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8304/2022	6/7/2022	Online
DMD/BHO/0269/13439/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7756/2022	5/28/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1427
3/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8303/20
22

6/7/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **06-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.07 21:48:02 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1826/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 17-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3481/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 58
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1520 5/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8848/20 22	6/16/2022	Online
DMD/BHO/0269/1520 5/2022	18138.00	RCPT/BHO/0269/8847/20 22	6/16/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1343
8/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7755/20
22

5/28/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **16-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.17 08:41:41 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1730/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3604/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 59
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1376 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7944/20 22	6/1/2022	Online
DMD/BHO/0269/1447 4/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8356/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
4/2022

17171.00

RCPT/BHO/0269/8355/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:19:04 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1732/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3614/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 60
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1378 3/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7955/20 22	6/1/2022	Online
DMD/BHO/0269/1446 7/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8339/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1446
7/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8340/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:06:06 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1733/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3613/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 61
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1378 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7954/20 22	6/1/2022	Online
DMD/BHO/0269/1446 8/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8342/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1446 8/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8343/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:04:37 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1729/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3577/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 62
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1447 5/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8360/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1368 9/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7898/20 22	5/31/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447 5/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8358/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:17:33 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1728/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3576/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 63
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1368 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7896/20 22	5/31/2022	Online
DMD/BHO/0269/1447 6/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8362/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447 6/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8363/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:16:02 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1727/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3575/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 64
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1447 7/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8364/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1368 6/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7895/20 22	5/31/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
7/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8365/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:14:31 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1725/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3574/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 65
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1447 8/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8368/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1368 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7894/20 22	5/31/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
8/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8367/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:12:54 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1723/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3573/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 66
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1447 9/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8371/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1368 4/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7892/20 22	5/31/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
9/2022

2171.00

RCPT/BHO/0269/8370/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:11:31 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1722/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3572/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 67
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1366 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7883/20 22	5/31/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 0/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8373/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1448 0/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8372/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:10:09 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1721/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3571/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 68
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1448 1/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8374/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 1/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8375/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1366
1/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7882/20
22

5/31/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:08:31 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1888/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3928/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 69
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
15.240	25.140	240.340	240.340

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	133.850
Consumed FAR :	0.550	Proposed Builtup Area :	133.850
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	10.85
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	19.230
		Permissible Ground Coverage :	42.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	133.85	0.00	0.0000	0.00	3.50	2.50	3.50	12.79

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	46.20	0.00	0.0000	0.00	46.20	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	55.18	0.00	0.0000	0.00	55.18	0.00
Single	4	FLOOR02	0.00	32.47	0.00	0.0000	0.00	32.47	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1589 8/2022	12695.00	RCPT/BHO/0269/9266/20 22	6/23/2022	Online
DMD/BHO/0269/1512 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8762/20 22	6/14/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1589
8/2022

17364.00

RCPT/BHO/0269/9268/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

29. इस अनुमति को भूस्वामित्व दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी, तथा भवन अनुमति मानचित्र को भूस्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। भवन अनुमति केवल भवन के नियोजन मापदण्ड मानचित्र माना जाएगा।

30. आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत वास्तुविद् (नियम 16(9)के तहत) द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार की स्थल के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता होने पर या प्रस्तुत भवन मानचित्र में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जा सकेगी। म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा अथवा अनुज्ञा को निरस्त किया जा सकेगा।

31. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.बी.सी. भाग-4 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था हेतु नवीन संशोधन अनुसार संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी, तथा तदनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण लगाए जावेंगे, तत्पश्चात प्राप्त अनापत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की फायर फिटिंग अमानक व उपकरण के संचालन के संबंध में कोई त्रुटि अथवा दुर्घटना घटित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

32. भवन अनुमति के अनुसार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 के तहत भवन अनुज्ञा शाखा को विधिवित् देना होगी। बगैर सूचना दिए व बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए किए जा रहे निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही भूगतान किया जाएगा। भूखंड के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विधिवत् अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदित मानचित्र से विपरीत पाए जाने वाले भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी।

33. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार यदि आवेदक के द्वारा स्वयं की प्रेरणा से निर्दिष्ट/अनुमोदित अधिभोग का परिवर्तन भवन में या उसके किसी भाग में करता है तो भवन निर्माण अधिकारी ऐसे अवैधानिक अधिभोग को बंद किए जाने हेतु कार्यवाही करेगा, यदि आवेदक द्वारा भवन अनुमति के विरुद्ध अवैधानिक अधिभोग को बंद नहीं करता है तो दी गई भवन



नगर पालिक निगम Bhopal

अनुज्ञा व अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन मानते हुए नियम/अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञा निरस्त कर दी जावेगी, तथा भवन निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए भवन निर्माण अधिकारी संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा।

34. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल के पत्र क्रं. 861/स्वा./रा.क./2022

दिनांक-28.04.2022 के अनुसार राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण/डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भवन निर्माणकर्ता को जल संचय इस प्रकार किया जाना है कि जिससे मच्छरों के प्रजनन जन्य स्थितियां निर्मित न हो सकें, जिसके कारण डेंगू जैसे अन्य हानिकारक लार्वा उत्पन्न न होने पायें। स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से जल संग्रहण आवश्यकता अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जाती है जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थायी व्यवस्था को नष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

35. अनुमोदित मानचित्र के विपरीत किए गए भवन निर्माण कार्य गलत या असत्य जानकारी पहुंच मार्ग संबंधी विवाद उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन व जानकारी जो आवेदन पत्र अनुसार असत्य पाए जाने या भू-सीमा/भूखण्ड विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व उससे संबंधित प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाए जाने पर या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुमति पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाए जाने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहत/ रिव्होक कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी मानी जावेगी।

36. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाए अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अन्तर्गत तलघर का उपयोग केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा, जिसकी नियमानुसार भवन अनुमति प्रदान करते समय वाहन पार्किंग की गणना व प्रत्येक वाहन हेतु पर्याप्त स्थान, आवागमन स्थान हेतु नियोजित क्षेत्र एवं ऊंचाई आदि का निर्धारण के पश्चात ही भवन अनुमति मान्य की जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानचित्र में उपदर्शित भूखण्ड रेखा से न्यूनतम 1.5 मीटर अथवा जो निर्धारित किया गया हो, भूमि छोड़कर ही तलघर निर्माण मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में भूखण्ड रेखा से तलघर निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। तलघर निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने या कोई जनहानि या जानमाल का नुकसान होने पर आवेदक एवं उनके अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि बराबर के जिम्मेदार होंगे, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही भूगतान किया जाएगा। आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा।

37. आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक-22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियम और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

38. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिक निगम, के निर्देशन में निर्धारित



नगर पालिक निगम Bhopal

मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी, तथा नगर निगम के मुख्य DRAIN से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

39. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के अनुसार जल निकाय/जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9 मीटर और नदी के मामले में 15 मीटर की दूरी के भीतर हो या जैसा कि विकास रेखांक में विहित हो, भूमि को खुले रूप में छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

40. आवेदक को विषयांकित भूमि पर विकास/निर्माण करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि, उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले निर्माण से आसपास के भवनों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किए जा रहे निर्माण कार्य से आसपास के भवनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर दी जा रही अनुज्ञा को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत लंबित रखा जा सकता है तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

41. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधारभूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

42. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होने पर अपेक्षाएं प्रावधान अनुसार निर्धारित आवेदक द्वारा की जावेगी, तथा नियम 88 के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन आवेदक का दायित्व होगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जावेगा, साथ ही नियम 41 के तहत भवन तथा उसके चारों ओर खुल स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग दमकल के भार को सहन करने योग्य ठोस सतह होगी।

43. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वयं के आवास (केवल परिभाषित कुटुम्ब सदस्य सहित) अधिभोग हेतु ही अनुज्ञा दी जा रही है, यदि आवेदक या किसी अन्य के द्वारा स्वीकार्य निर्मित क्षेत्रान्तर्गत अधिभोग से विपरीत कर अतिरिक्त किसी भी प्रकोष्ठों को विक्रय किया जाता है तो ऐसा कृत्य पाए जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिका म.प्र. नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 के अधीन कालोनाईजर (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध सक्षम कार्यवाही सक्षम न्यायालय/अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। यह भी है कि स्वयं के आवास अधिभोग हेतु दी गई अनुज्ञा अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा विक्रित भाग पर ऋण दिया जाना भी अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1892/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3927/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 70
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
17.200	30.480	121.520	121.520

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	96.070
Consumed FAR :	0.790	Proposed Builtup Area :	96.070
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	21.18
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	34.260
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	96.07	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	41.63	0.00	0.0000	0.00	41.63	0.00
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	34.96	0.00	0.0000	0.00	34.96	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	19.48	0.00	0.0000	0.00	19.48	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/15124/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8761/2022	6/14/2022	Online
DMD/BHO/0269/15616/2022	17029.00	RCPT/BHO/0269/9269/2022	6/23/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1561
6/2022

14070.00

RCPT/BHO/0269/9273/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.23 21:41:35 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1720/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3570/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 71
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1365 6/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7881/20 22	5/31/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 2/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8376/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1448 2/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8377/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	----------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:59:23 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1719/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3569/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 72
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1448 3/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8378/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 3/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8379/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1365
5/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7878/20
22

5/31/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:57:49 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1718/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3567/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 73
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/13653/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7876/2022	5/31/2022	Online
DMD/BHO/0269/14484/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8380/2022	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1448
4/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8381/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:56:22 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1717/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3566/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 74
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1448 5/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8384/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1365 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7874/20 22	5/31/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1448 5/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8383/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:55:05 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1716/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3565/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 75
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1448 6/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8385/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 6/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8386/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1365 1/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7873/20 22	5/31/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:53:34 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1715/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3564/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 76
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1448 7/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8388/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 7/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8389/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1364 8/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7872/20 22	5/31/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:52:13 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1714/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3563/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 77
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1364 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7871/20 22	5/31/2022	Online
DMD/BHO/0269/1448 8/2022	17171.00	RCPT/BHO/0269/8391/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1448
8/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8392/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 19:50:46 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1736/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3612/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 78
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1378 1/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7953/20 22	6/1/2022	Online
DMD/BHO/0269/1447 0/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8344/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
0/2022

17171.00

RCPT/BHO/0269/8345/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:03:14 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1731/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3611/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 79
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1378 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7952/20 22	6/1/2022	Online
DMD/BHO/0269/1447 1/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8346/20 22	6/8/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
1/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8353/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:20:25 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1735/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3608/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 80
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1447 2/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8347/20 22	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/1377 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7949/20 22	6/1/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447
2/2022

17921.00

RCPT/BHO/0269/8348/20
22

6/8/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:01:39 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1734/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 08-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3607/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO. 1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA (AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 81
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
6.400	15.240	97.540	97.540

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	120.310
Consumed FAR :	1.230	Proposed Builtup Area :	120.310
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	29.03
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	57.170
		Permissible Ground Coverage :	60.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	120.31	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	55.76	0.00	0.0000	0.00	55.76	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	43.24	0.00	0.0000	0.00	43.24	18.18
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14473/2022	17921.00	RCPT/BHO/0269/8350/2022	6/8/2022	Online
DMD/BHO/0269/13774/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7948/2022	6/1/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1447 3/2022	2171.00	RCPT/BHO/0269/8349/20 22	6/8/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **07-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.08 20:22:07 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1889/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3926/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : 82
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
13.880	15.240	219.300	219.300

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	127.140
Consumed FAR :	0.570	Proposed Builtup Area :	127.140
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	25.39
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	22.930
		Permissible Ground Coverage :	42.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	127.14	0.00	0.0000	0.00	3.50	2.50	3.88	1.50

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	50.29	0.00	0.0000	0.00	50.29	7.85
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	51.31	0.00	0.0000	0.00	51.31	14.54
Single	4	FLOOR02	0.00	25.54	0.00	0.0000	0.00	25.54	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1589 6/2022	12671.00	RCPT/BHO/0269/9274/20 22	6/23/2022	Online
DMD/BHO/0269/1512 3/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8760/20 22	6/14/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1589
6/2022

18304.00

RCPT/BHO/0269/9276/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

29. इस अनुमति को भूस्वामित्व दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी, तथा भवन अनुमति मानचित्र को भूस्वामित्व के रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा। भवन अनुमति केवल भवन के नियोजन मापदण्ड मानचित्र माना जाएगा।

30. आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत वास्तुविद् (नियम 16(9)के तहत) द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार की स्थल के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता होने पर या प्रस्तुत भवन मानचित्र में विरोधाभास या विसंगति पाये जाने पर उसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक एवं उनके द्वारा अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि की बराबर की होगी, तथा सिद्ध पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जा सकेगी। म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 के नियम 10 के प्रावधानों के अन्तर्गत किए जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा अथवा अनुज्ञा को निरस्त किया जा सकेगा।

31. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 एवं एन.बी.सी. भाग-4 के अनुसार अग्निशमन की व्यवस्था हेतु नवीन संशोधन अनुसार संबंधित विभाग से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी, तथा तदनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार अग्निशमन उपकरण लगाए जावेंगे, तत्पश्चात प्राप्त अनापत्ति प्रस्तुत करने के पश्चात नियमानुसार सर्विस प्रमाण पत्र तथा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की फायर फिटिंग अमानक व उपकरण के संचालन के संबंध में कोई त्रुटि अथवा दुर्घटना घटित होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

32. भवन अनुमति के अनुसार निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 100 के तहत भवन अनुज्ञा शाखा को विधिवित् देना होगी। बगैर सूचना दिए व बगैर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए किए जा रहे निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही भूगतान किया जाएगा। भूखंड के माप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने की दशा में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से विधिवत् अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुमोदित मानचित्र से विपरीत पाए जाने वाले भूखण्डों पर भवन अनुज्ञा स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी।

33. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 11 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार यदि आवेदक के द्वारा स्वयं की प्रेरणा से निर्दिष्ट/अनुमोदित अधिभोग का परिवर्तन भवन में या उसके किसी भाग में करता है तो भवन निर्माण अधिकारी ऐसे अवैधानिक अधिभोग को बंद किए जाने हेतु कार्यवाही करेगा, यदि आवेदक द्वारा भवन अनुमति के विरुद्ध अवैधानिक अधिभोग को बंद नहीं करता है तो दी गई भवन



नगर पालिक निगम Bhopal

अनुज्ञा व अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन मानते हुए नियम/अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञा निरस्त कर दी जावेगी, तथा भवन निर्माण को अवैध निर्माण मानते हुए भवन निर्माण अधिकारी संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा।

34. कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल के पत्र क्रं. 861/स्वा./रा.क./2022

दिनांक-28.04.2022 के अनुसार राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण/डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भवन निर्माणकर्ता को जल संचय इस प्रकार किया जाना है कि जिससे मच्छरों के प्रजनन जन्य स्थितियां निर्मित न हो सकें, जिसके कारण डेंगू जैसे अन्य हानिकारक लार्वा उत्पन्न न होने पायें। स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूप से जल संग्रहण आवश्यकता अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जाती है जिसे निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अस्थायी व्यवस्था को नष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

35. अनुमोदित मानचित्र के विपरीत किए गए भवन निर्माण कार्य गलत या असत्य जानकारी पहुंच मार्ग संबंधी विवाद उत्पन्न होने की दशा में आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन व जानकारी जो आवेदन पत्र अनुसार असत्य पाए जाने या भू-सीमा/भूखण्ड विवाद उत्पन्न होने की दशा में या किसी भी सक्षम न्यायालय में विषयांकित भूमि के स्वामित्व उससे संबंधित प्रकरण प्रचलन में होने व उसकी या किसी भी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय से छिपाए जाने पर या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर या किसी भी शासकीय विभाग से कोई आपत्ति प्राप्त होने पर तथा अनुमति पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाए जाने पर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त शर्तों व उपबंधों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा को निलंबित या प्रतिसंहत/ रिव्होक कर दी जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी मानी जावेगी।

36. आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाए अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधानों के अन्तर्गत तलघर का उपयोग केवल वाहन पार्किंग हेतु ही किया जा सकेगा, जिसकी नियमानुसार भवन अनुमति प्रदान करते समय वाहन पार्किंग की गणना व प्रत्येक वाहन हेतु पर्याप्त स्थान, आवागमन स्थान हेतु नियोजित क्षेत्र एवं ऊंचाई आदि का निर्धारण के पश्चात ही भवन अनुमति मान्य की जाए। आवेदक द्वारा प्रस्तावित मानचित्र में उपदर्शित भूखण्ड रेखा से न्यूनतम 1.5 मीटर अथवा जो निर्धारित किया गया हो, भूमि छोड़कर ही तलघर निर्माण मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में भूखण्ड रेखा से तलघर निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। तलघर निर्माण के संबंध में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कमी के कारण दुर्घटना घटित होने या कोई जनहानि या जानमाल का नुकसान होने पर आवेदक एवं उनके अधिकृत पंजीकृत वास्तुविद्/इंजीनियर /पर्यवेक्षक/ठेकेदार आदि बराबर के जिम्मेदार होंगे, तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही भूगतान किया जाएगा। आवेदक को संलग्न स्थल मानचित्र में दर्शाये अनुसार म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के परिशिष्ट-झ-1 एवं झ-2 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग हेतु प्रावधान रखना होगा। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के परिसर में ही करना होगी। किसी भी दशा में वाहन पार्किंग मार्ग एवं आरक्षित सीमांत खुले क्षेत्र पर स्वीकार नहीं होगी। पार्किंग की आवश्यकता की पूर्ति आवेदक को स्वयं के परिसर में ही करना अनिवार्य होगा।

37. आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक-22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अंतर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियम और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामक प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

38. जल-मल निकासी, वर्षा के जल की निकासी तथा जल-मल संवहन की व्यवस्था एवं पानी की पाईप लाईन, टंकी आदि का निर्माण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर पालिक निगम, के निर्देशन में निर्धारित



नगर पालिक निगम Bhopal

मानकों व मानदण्डों के अनुसार उनकी देख-रेख में की जावेगी, तथा नगर निगम के मुख्य DRAIN से जोड़ा जावेगा। एस.टी.पी. का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर स्वयं की भूमि पर स्थापित करना अनिवार्य होगा।

39. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के अनुसार जल निकाय/जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9 मीटर और नदी के मामले में 15 मीटर की दूरी के भीतर हो या जैसा कि विकास रेखांक में विहित हो, भूमि को खुले रूप में छोड़ना आवश्यक होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

40. आवेदक को विषयांकित भूमि पर विकास/निर्माण करते समय यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा कि, उनके द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले निर्माण से आसपास के भवनों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि किए जा रहे निर्माण कार्य से आसपास के भवनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने पर दी जा रही अनुज्ञा को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत लंबित रखा जा सकता है तथा समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा ही की जावेगी।

41. स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से समस्त आधारभूत सुविधाओं का विकास स्वयं आवेदक को करना होगा, जिसका पालन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

42. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 अग्नि तथा संरचनात्मक सुरक्षा एवं नियम 87 अग्नि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होने पर अपेक्षाएं प्रावधान अनुसार निर्धारित आवेदक द्वारा की जावेगी, तथा नियम 88 के प्रावधान अनुसार भवन का निर्माण भूकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जावेगा। इन प्रक्रियाओं का पालन आवेदक का दायित्व होगा, जो कि सक्षम प्राधिकारी की निगरानी में सुनिश्चित किया जावेगा, साथ ही नियम 41 के तहत भवन तथा उसके चारों ओर खुल स्थानों को जाने वाला पहुंच मार्ग दमकल के भार को सहन करने योग्य ठोस सतह होगी।

43. आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार स्वयं के आवास (केवल परिभाषित कुटुम्ब सदस्य सहित) अधिभोग हेतु ही अनुज्ञा दी जा रही है, यदि आवेदक या किसी अन्य के द्वारा स्वीकार्य निर्मित क्षेत्रान्तर्गत अधिभोग से विपरीत कर अतिरिक्त किसी भी प्रकोष्ठों को विक्रय किया जाता है तो ऐसा कृत्य पाए जाने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी तथा सक्षम प्राधिकारी, नगर पालिका म.प्र. नगर पालिक निगम, अधिनियम, 1956 के अधीन कालोनाईजर (कालोनी विकास) नियम 2021 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध सक्षम कार्यवाही सक्षम न्यायालय/अधिकारी द्वारा की जा सकेगी। यह भी है कि स्वयं के आवास अधिभोग हेतु दी गई अनुज्ञा अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा विक्रित भाग पर ऋण दिया जाना भी अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1763/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3650/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-3
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14715/2022	11826.00	RCPT/BHO/0269/8527/2022	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/14715/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8528/2022	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1389 9/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8027/20 22	6/2/2022	Online
-----------------------------	------	-----------------------------	----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:07:56 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1769/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3649/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-4
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1471 6/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8530/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1471 6/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8529/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1389
8/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/8026/20
22

6/2/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:06:57 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1770/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3640/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-5
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1388 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8012/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1472 6/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8547/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1472
6/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8549/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:25:38 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1788/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 15-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3633/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-6
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1386 6/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7987/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1478 3/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8734/20 22	6/14/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1478
3/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8732/20
22

6/14/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **14-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.15 11:17:02 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1787/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
Bhopal

दिनांक 15-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3632/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-7
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1386 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/7985/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1478 4/2022	18138.00	RCPT/BHO/0269/8735/20 22	6/14/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1478
4/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8737/20
22

6/14/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **14-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.15 11:15:08 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1786/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 15-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3631/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-8
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1478 5/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8751/20 22	6/14/2022	Online
DMD/BHO/0269/1478 5/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8753/20 22	6/14/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1386
2/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/7984/20
22

6/2/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **14-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.15 11:11:54 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1767/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3648/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO. 1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA (AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-9
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1389 7/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8023/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1471 7/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8532/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1471
7/2022

3138.00

RCPT/BHO/0269/8531/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:05:48 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1765/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3647/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-10
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14719/2022	11826.00	RCPT/BHO/0269/8533/2022	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/14719/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8535/2022	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1389
6/2022

1.00

RCPT/BHO/0269/8022/20
22

6/2/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:04:54 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1775/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3646/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-11
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1472 0/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8537/20 22	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/1389 5/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8021/20 22	6/2/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1472
0/2022

11826.00

RCPT/BHO/0269/8536/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधी का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार **वृक्षारोपण** करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:03:22 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/2088/202

2

प्रति

दिनांक 23-जुलाई-2022

M/s. Shri Balaji Infrastructures. C/o. Mr. Sunil Maheshwari S/o. Late Suresh Chandra Maheshwari & M/s. Lucky Real Estate Developers
bhopal

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/4346/2022

- जोन क्रमांक / वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO. 123/1,123/2,123/3,124/1,125/1,124/2,125/2,126/1,127/1,126/2,127/2,128/1,128/2,129,130,132/1,131,136/1,137/1,138/1,138/2,139/1,139/2,140/2,139/4,140/1,134,135 & KHASRA NO. 1,4,23,24,25/1/1/1,25/1/2,25/1/3,26/2,ETC AT DAMKHEDA (AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-12
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
10.610	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor	: 1.25	Total permissible Builtup Area	: 164.520
Consumed FAR	: 1.220	Proposed Builtup Area	: 164.520
Special Cases FAR	: No	Existing Builtup Area	: 0.000
Set Back Area	: -	NonFAR Area	: 31.67
Existing Ground Coverage	: 0.000	Proposed Ground Coverage	: 49.290
		Permissible Ground Coverage	: 50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1635 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/9753/20 22	7/6/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1812 9/2022	11826.00	RCPT/BHO/0269/10430/2 022	7/22/2022	Online
DMD/BHO/0269/1812 9/2022	25505.00	RCPT/BHO/0269/10429/2 022	7/22/2022	Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जुलाई-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ती संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढ़ी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वजनिक तथ्य के **दुर्व्यप्रेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टेन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय **दिशा निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

19. कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
20. भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।
21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI

Date: 2022.07.23 10:50:10 -07:00

Reason: Building plan approval

Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1891/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 23-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3645/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-13
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
7.200	15.240	109.730	109.730

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	128.830
Consumed FAR :	1.170	Proposed Builtup Area :	128.830
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	30.53
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	48.460
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	128.83	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	53.16	0.00	0.0000	0.00	53.16	17.72
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	3.00
Single	3	FLOOR01	0.00	54.36	0.00	0.0000	0.00	54.36	9.81
Single	4	FLOOR02	0.00	21.31	0.00	0.0000	0.00	21.31	0.00

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1389 4/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8020/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1552 4/2022	25051.00	RCPT/BHO/0269/9277/20 22	6/23/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1552
4/2022

19124.00

RCPT/BHO/0269/9278/20
22

6/23/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **22-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.23 21:39:36 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1774/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3644/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-19
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1389 2/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8016/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1472 1/2022	11826.00	RCPT/BHO/0269/8538/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1472
1/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8539/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:01:45 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1773/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3643/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-20
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1389 0/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8015/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1472 2/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8541/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1472 2/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8540/20 22	6/10/2022	Online
-----------------------------	---------	-----------------------------	-----------	--------

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेषण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 10:00:50 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1772/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3642/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-21
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/1388 9/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8014/20 22	6/2/2022	Online
DMD/BHO/0269/1472 3/2022	3138.00	RCPT/BHO/0269/8542/20 22	6/10/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1472
3/2022

23543.00

RCPT/BHO/0269/8543/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञा संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की **जवाबदारी** आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अर्न्तगत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:28:29 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal



नगर पालिक निगम Bhopal

क्रमांक

PMT/BHO/0269/1771/202

2

प्रति

M/s. Lucky Real Estate Developers C/o. Darvesh Kumar Sharma
bhopal

दिनांक 11-जून-2022

विषय : मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम २०१२ नियम (२७) के अधीन भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र
संदर्भ : आपका आवेदन पत्र क्रमांक BHO/BHO/BHO/0269/3641/2022

- जोन क्रमांक/वार्ड क्रमांक : 16 / 74
- कॉलोनी का नाम : BALAJI PARISAR PHASE-II ON KHASRA NO.
1,4,5,6/1,6/2,7/1,7/2,8/1,8/2,8/8/1,22/1/1,22/1/2,22/2/2,22/3 AND 23 AT DAMKHEDA
(AYODHYA BYPASS)
- भूखंड क्रमांक : B-22
- CaseType : Erect
- LandUse : Residential
- BuildingUse : Residential
- Plot Details:

Plot Width(M)	Plot Depth (M)	Gross Plot Area (SQ.M)	Net Plot Area (SQ.M)
9.300	15.240	134.570	134.570

8. FAR Table

Permissible FAR Factor :	1.25	Total permissible Builtup Area :	164.520
Consumed FAR :	1.220	Proposed Builtup Area :	164.520
Special Cases FAR :	No	Existing Builtup Area :	0.000
Set Back Area :	-	NonFAR Area :	31.67
Existing Ground Coverage :	0.000	Proposed Ground Coverage :	49.290
		Permissible Ground Coverage :	50.00

9. Building FAR Details

S.No	Building Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	Front MOS	Rear MOS	Side1 MOS	Side2 MOS
1	SINGLE	0.00	164.52	0.00	0.0000	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00

10. Floor FAR Details

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial Sq.m.	Residential Sq.m.	Industrial Sq.m.	Institutional Sq.m.	Special FAR	FAR Area Sq.m.	NonFAR sq.m.
Single	1	FLOOR-GROUND	0.00	66.33	0.00	0.0000	0.00	66.33	17.18
Single	2	FLOOR-TERRACE	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	1.53
Single	3	FLOOR01	0.00	82.30	0.00	0.0000	0.00	82.30	6.48
Single	4	FLOOR02	0.00	15.89	0.00	0.0000	0.00	15.89	6.48

11. Paid fees Details

Memo No.	Amount	Receipt No.	Paid On	Payment Mode
DMD/BHO/0269/14724/2022	23543.00	RCPT/BHO/0269/8546/2022	6/10/2022	Online
DMD/BHO/0269/13888/2022	1.00	RCPT/BHO/0269/8013/2022	6/2/2022	Online



नगर पालिक निगम Bhopal

DMD/BHO/0269/1472
4/2022

11826.00

RCPT/BHO/0269/8545/20
22

6/10/2022

Online

मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम (27) निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उक्त स्वीकृति दिनांक **10-जून-2025** तक विधिमान रहेगी तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने की सूचना, कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में **नगर निगम अधिकारी** को देना अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत उपयोग में लाने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भवन उपयोग में लाया जावेगा।
- उक्त अनुमति पत्र आवेदन के साथ भूस्वामी तथा वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर दी गई है, इसे दी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जावेगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता की समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा।
- यह अनुज्ञप्ति संपत्ति के स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। तथा किसी स्वात्वाधिकारी के स्वतः को प्रभावित नहीं करेगी।
- यह अनुज्ञा स्वीकृत संलग्न मानचित्र के साथ पढी जानी चाहिये तथा स्वीकृत मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय अनुज्ञा के निर्माण स्थल पर अनिवार्य होगी।
- भवन निर्माण का कार्य **निगम** के लाइसेंसी सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जावेगा कि उक्त कार्य सुपरवाइजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।
- भूमि विकास नियम क्रमांक 24 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के **संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन** करने पर उसे पुन **निगम** से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।
- आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य, मिथ्या कथन अथवा किसी सार्वान तथ्य के **दुर्व्यपरेक्षण** पर आधारित हो अथवा अनुज्ञा में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का प्रेरण नहीं किया गया हो तो मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम धारा 25 के अधीन अनुज्ञा निलंबित अथवा प्रति संहित की जा सकेगी।
- जल संरक्षण स्थापना का कार्य स्वयं के व्यय पर, भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा। तथा **नगर पालिक निगम** की जल संचयन शाखा से सत्यापन कराते हुए इस **आशय** का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- भवन निर्माण पूर्णतः भूकम्प रोधी तकनीक से नियम 84 में वर्णित आई.एस. कोड के अनुसार करना होगा।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यदि किसी अन्य से अनुमति या अनापत्ति ली जाना आवश्यक हो वांछित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण करना होगा।
- स्थल में पार्किंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81 के **परिशिष्ट** क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (क) के अनुसार की जायेगी।
- बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेप्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तरल जल, मल ही **निगम** की क्षेत्र में स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ड्रेनेज लाइन से जोड़े तथा **नगर पालिक निगम** विधान की धारा 159 के अनुसार यह **आवश्यक** होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के **निर्देशन** में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू) डायमीटर का आरसीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्थान तय कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह **सुनिश्चित** भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्रमांक 73 के अनुरूप ही होगा।
- भवन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर के चारों तरफ कर्टन/ओट लगाकर निर्माण किया जावे। कोई भी निर्माण सामग्री रोड़/गली पर नहीं रखी जावे। निर्माण सामग्री से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलावे।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 86 के अनुसार **अग्निशमन** की व्यवस्था करना होगी। **अग्निशमन** अनापत्ति आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशाशन एवं विकास भोपाल से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगी। **अग्निशमन** व्यवस्था एवं अनापत्ति के पश्चात् ही अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जावेंगे अधिभोग हेतु नियम 102 के नियम 42 (3) का पालन **सुनिश्चित** करना होगा।
- उत्पन्न होने वाले **अपशिष्ट** (सालिड वेस्ट) के प्रबंध में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मय दिशा **निर्देशों** का पालन करना होगा तथा ठोस **अपशिष्ट** को तीन अलग-अलग कचरा पेटियों में इकट्ठा करने वाले डिस्पोजल की जवाबदारी आवेदक/भूस्वामी/कॉलोनाईजर/रहवासी की होगी।
- स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज आदि का विकास नगर **निगम** की देख रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
- मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम-67 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
- यदि भुखंड 100 वर्गमीटर से छोटा है तो किसी पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना एवं उसकी सुरक्षा करना अनिवार्य होगा।
- कार्यपूर्णता/आधिपत्य प्रमाणपत्र किये गए वृक्षारोपण के परिक्षण के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
- भवन का निर्माण मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अन्तर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा।



नगर पालिक निगम Bhopal

21. शुल्कों के गणना की अंतर की स्थिति में अंतर की राशि आवेदक को जमा कराना आवश्यक होगा।
22. निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व चौकीदार एवं श्रमिकों हेतु शौचालय का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
23. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (घ) के अनुसार आवेदक को भवन स्थल पर कार्य प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 1 में देना होगी।
24. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (ड) के अनुसार आवेदक को कुर्सी स्तर तक निर्माण कार्य हो जाने पर निरीक्षण हेतु भवन अधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड 2 में देना होगी।
25. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 101 के अनुसार आवेदक को सिविल संकर्म के पूर्ण हो जाने पर सर्विस प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु प्राधिकारी को आनलाइन आवेदन देना होगा।
26. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 (2) (च) एवं 31 (2) (छ) के अनुसार आवेदक को कार्य पूर्णता एवं अधिभोग हेतु प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से आनलाइन सूचना परिशिष्ट ड3 एवं ड4 में देना होगी।
27. भवन अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक के एक वर्ष के अंतर्गत स्थल पर कार्य प्रारंभ करने हेतु नियम 31 (2) (घ) के अनुसार प्राधिकारी को आनलाइन सूचित कर कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
28. प्रस्तावित निर्माण में विद्युत लाइन से म.प्र.विद्युत मण्डल नियमानुसार दूरी रखकर निर्माण करें।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन, आवेदन में दिखाये गये तथ्यों के गलत पाये जाने, भूस्वामी बावत् विवाद या किसी अन्य विभाग से विसंगति आने पर यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

नगर निगम अधिकारी, Bhopal.

Digitally signed by ANIL KUMAR SAHANI
Date: 2022.06.11 09:26:44 -07:00
Reason: Building plan approval
Location: Urban Local Body, Bhopal